2015/00008

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कैम्प कोर्ट सिवाना

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 37/2015

प्रार्थी
1सावंलाराम पुत्र गोवीराम
2.सुरेश कुमार पुत्र सावंलराम
जाति माली निवासी पादरू
वास सिवाना तहसील सिवाना

बनाम्

अप्रार्थीगण
1.ग्राम पंचायत सिवाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना
2.छोगाराम पुत्र मोटाराम
3.ईश्वरलाल पुत्र छोगाराम
4.दलाराम पुत्र छोगाराम
जाति माली निवासी पादरू वास सिवाना तहसील,सिवाना

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 विरूद्ध निरस्त करने पट्टा संख्या 69 दिनांक 26.06.1999 जो ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी किया गया।

उपस्थितः– 1.प्रार्थी सं. 01 उपस्थित, अप्रार्थी सं. 02 एंव अधिवक्ता अनुपस्थित।
2.अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से ग्राम सेवक सिवाना उपस्थित।
3.अप्रार्थी संख्या 02 से 04 उपस्थित अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 14.06.2016

1. संक्षेप में प्रार्थीगण की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 02 छोगाराम ने सरपंच ग्राम पंचायत, सिवाना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि पादरू की वास सिवाना की आबादी भूमि में पुराना आवासीय मकान आया हुआ है,जिसका पट्टा विलेख प्राप्त करना चाहता हूँ इसलिये उसके नाम नियमानुसार शुल्क जमा कर पट्टा प्रदान कराया जाए। इस पर ग्राम पंचायत सिवाना ने पत्रावली संख्या 61 कायम कर अप्रार्थी संख्या 02 के नाम नियम 157(2) के तहत संकल्प संख्या 2 दिनांक 10.06.1999 के अनुसरण में आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 69 दिनांक 26.06.1999 को जारी किया गया। प्रार्थीगण का यह कथन है कि जिस भूमि पर पट्टा जारी किया वह भूमि उनकी स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि है। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थीगण ने इस पट्टा विलेख की भूमि को अपने स्वामित्व एंव

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आधिपत्य की भूमि होने एंव नियम विरूद्ध जारी करना बताते हुए यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत सिवाना से पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया।

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट सिवाना में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभयपक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी सं. 01 उपस्थित रहे। प्रार्थी सं. 02 एंव अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 01की ओर से ग्राम सेवक सिवाना उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 02 से 04 उपस्थित रहे एंव इनके अधिवक्ता बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहे।

4. .हमने उभय पक्ष को सुना। ग्राम पंचायत सिवाना से प्राप्त रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने निगरानी में यह कथन किया कि वादगस्त भूमि उसके स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि है,जिस पर ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में गलत रूप से पटटा जारी किया गया है। निगरानी से सम्बन्धित यह विवाद दीवानी प्रकृति का हैं। ऐसी स्थिति में इस बिन्दु के निर्धारण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रार्थीगण का यह कथन कि अप्रार्थी संख्य 02 के पक्ष मे जारी पट्टा ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 02 छोगाराम ने भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत सिवाना के समक्ष प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। इस प्रार्थना पत्र पर नक्शा भी पेश किया गया हैं। जिस पर पत्रावली संख्या 61 कायम की गई है। दिनांक 10.07.98 को मौका कमेटी से मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश हुए है। जिस पर मौका निरीक्षण कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त की हैं। मौका कमेटी ने नियम 146 के उप नियम 3 के सब क्लोज क से ड़ मे वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट दी है। तत्पश्चात् नियम 148 के तहत दिनांक 10.05.99 को नोटिस जारी किया हैं नोटिस के साया होने से आपतियां आमंत्रित की गई हैं। मगर किसी भी व्यक्ति ने इस सम्बन्ध में कोई आपति पेश नहीं की है।तत्पश्चात् दिनांक 10.06.99 की कार्यवाही में नियम 157(2)पुराने गृहों का नियमितिकरण के तहत 200/–वसूल कर पट्टा जारी करने की स्वीकृति दी गई है। इन नियमो के परिपेक्ष्य में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व नक्शा में दर्शाये गये पड़ोस व नाप के अनुरूप ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि ग्राम पंचायत सिवाना ने निर्धारित

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रकिया अपनाकर,नियमों में अंकित प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में नियम 157(2) के तहत पट्टा संख्या 69 दिनांक 26.06.1999 जारी किया है। इसमें कोई अनियमितता एंव त्रुटि प्रतीत नहीं हुई है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण की निगरानी सारहीन एंव आधारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प सिवाना में आज दिनांक 14.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर